



F. D. No. 700 /PS/GCE/04
Dated 18.1.21

भी

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 1(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक:-15.01.2021

-: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश कुमार	प्राचार्य	23-01-1961	31-01-2021
2.	श्री जगन्नाथ राम	प्राचार्य	26-01-1961	31-01-2021
3.	डॉ. आलोक ढोटिया	प्राचार्य	14-01-1961	31-01-2021
4.	डॉ. पीयूष कुमार सालोदिया	प्राचार्य	05-02-1961	28-02-2021
5.	डॉ. निधि श्रीवास्तव	प्राचार्य	02-02-1961	28-02-2021
6.	प्रो. अशोक कुमार सामरिया	प्राचार्य	23-03-1961	31-03-2021
7.	डॉ. अनीता गुप्ता	प्राचार्य	10-04-1961	30-04-2021
8.	डॉ. बजरंग लाल मीणा	प्राचार्य	18-05-1961	31-05-2021
9.	जैनाराम नागोरा	प्राचार्य	06-06-1961	30-06-2021
10.	डॉ. एल.पी. महावर	प्राचार्य	01-07-1961	30-06-2021
11.	श्री बृजेश कुमार कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य	08-06-1961	30-06-2021
12.	डॉ. उमेश भार्गव	प्राचार्य	19-07-1961	31-07-2021
13.	डॉ. रामगोपाल मीणा	प्राचार्य	09-07-1961	31-07-2021
14.	डॉ. आशा वाजपेयी	प्राचार्य	02-08-1961	31-08-2021
15.	श्रीमती राजकुमारी राणावत	प्राचार्य	21-08-1961	31-08-2021
16.	श्रीमती मंजु गोयल	प्राचार्य	17-08-1961	31-08-2021
17.	डॉ. राजेन्द्र कुमार जैन	प्राचार्य	21-08-1961	31-08-2021
18.	डॉ. आशा बागोटिया	प्राचार्य	10-10-1961	31-10-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर तालिका में अंकित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

[Handwritten Signature]

22-4-3

J.D. Adm.
18/1/21

6375
19.1.2021




भी

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


15/11/21
(संजय शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1()प्रशा./से.नि.-2021/आकाशि/2020/3409 दिनांक : 19.1.2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


19.1.2021

(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर